সংক্ষেপে সংবিধান

সরল ভাষায় ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও মৌলিক অধিকার

সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাওয়ারনেস দ্বারা প্রস্তুত ও জনস্বার্থে প্রচারিত

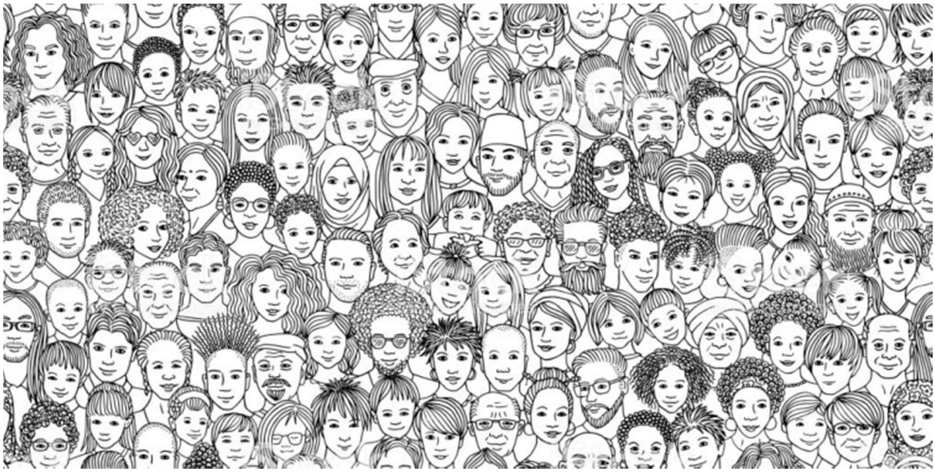

संविधान संक्षेप में

भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार सरल रूप में

सोसायटी फॉर पीपल्स अवेयरनेस द्वारा जनहित में तैयार एवं जारी किया गया

ভারতের সংবিধান ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আইন। এই সংবিধান ভারতের রাজনীতির মূল নিয়ম, কাঠামো, পদ্ধতি, ক্ষমতার বণ্টন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব, ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার এবং দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে। ডঃ বি আর আম্বেডকরের সভাপতিত্বে সাত জন সদস্যের কমিটি এই সংবিধানের খসড়া তৈরি করেন। ভারতের সংবিধান সভা ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে এই সংবিধান সারা দেশে কার্যকর হয়।

যেহেতু এই সংবিধান "সংবিধান সভা" তৈরি করেছে এবং ভারতের সংসদ তৈরি করেনি তাই সংসদ কখনোই সংবিধানকে অমান্য করতে পারে না।

এই পুস্তিকায় জনগণের জানা এবং বোঝার জন্য সরল ভাষায় এবং সংক্ষেপে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং মৌলিক অধিকারের বর্ণনা করা হয়েছে।

এই পুস্তিকায় ব্যবহৃত ছবিগুলি ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে। যারা এই ছবিগুলি তৈরি করেছেন এবং ইন্টারনেটে আপলোড করেছেন তাদের কাছে আমরা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह दस्तावेज़ सरकारी संस्थानों के मौलिक राजनीतिक कोड, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का सीमांकन करने वाली रूपरेखा तैयार करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। इसे 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ।

यह संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करता है (संसदीय सर्वोच्चता नहीं, क्योंकि इसे संसद के बजाय संविधान सभा द्वारा बनाया गया था) और इसकी प्रस्तावना में एक घोषणा के साथ इसे भारत के लोगों द्वारा अपनाया गया था। संसद संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती.

यह पुस्तिका सार्वजनिक ज्ञान और जानकारी के लिए सरल रूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों का वर्णन करती है

इस पुस्तिका में प्रयुक्त चित्र इंटरनेट से लिए गए हैं और हम उन लोगों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने इन चित्रों को बनाया और इंटरनेट पर अपलोड किया।

প্রস্তাবনা

"প্রস্তাবনা সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রস্তাবনা সংবিধানের যে কোনও ধারাকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে পথ দেখাতে পারে।"

-ভারতের সুপ্রিম কোর্ট

আমরা ভারতের জনগণ ঠিক করেছি যে ভারত একটি

সার্বভৌম *ভারত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, কোনও বিদেশী শক্তির অধীনস্থ নয়। ভারতের শাসন-ব্যবস্থা, আইন এবং নীতি ভারতের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তৈরি করবেন।*

সমাজতান্ত্রিক *ভারতে অর্থনৈতিক কাজকর্মে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের আধিপত্যের মাধ্যমে শ্রমিক এবং নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষিত হবে।*

ধর্ম-নিরপেক্ষ *ভারতে সমস্ত ধর্ম রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমান সম্মান, সুরক্ষা এবং সমর্থন পাবে।*

গণতান্ত্রিক *ভারতের শাসন ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন এবং দেশ গঠন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্ত ভারতবাসীর মত ও পথ সমান গুরুত্ব পাবে। সকল ভারতবাসী নির্দিষ্ট সময়ের অন্তরে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।*

প্রজাতন্ত্র *ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হবেন।*

प्रस्तावना

'प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है, खासकर जहां अलग-अलग व्याख्याएं मौजूद हैं।'

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

हम, भारत के लोग, भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं।

सार्वभौम — *भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का अधिराज्य नहीं है। देश में, भारत के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास राज्य पर शासन करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है।*

समाजवादी — *भारत में आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन पर नियंत्रण के माध्यम से राष्ट्र द्वारा लोगों और श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाएगी।*

धर्मनिरपेक्ष — *भारत में सभी धर्मों को राष्ट्र से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलेगा।*

लोकतांत्रिक — *शासन-प्रशासन, कानून निर्माण, राष्ट्र निर्माण और विकास की योजना बनाने में प्रत्येक भारतीय नागरिक की राय और अभिव्यक्ति को समान महत्व मिलेगा। सभी भारतीय नागरिक देश पर शासन करने के लिए चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे।*

गणराज्य — *भारत में राष्ट्र का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है।*

প্রস্তাবনা

ভারত রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য যে **অধিকার** গুলি নিশ্চিত করবে সেগুলি হল -

- রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক **ন্যায়বিচার**,
- চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস এবং ধর্মীয় উপাসনার **স্বাধীনতা**,
- সুযোগ পাওয়ার এবং অবস্থার সমতা বা **সাম্য**,
- রাষ্ট্র সকল ভারতবাসীর মধ্যে **ভাতৃত্ব**, প্রতিটি মানুষকে সম্মান করা এবং **জাতীয় ঐক্য** নিশ্চিত করতে উৎসাহ দেবে।

प्रस्तावना

भारतीय राज्य अपने सभी नागरिकों को निम्नलिखित **अधिकार** सुरक्षित करेगा

- **न्याय**, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक;
- विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की **स्वतंत्रता**;
- स्थिति और अवसर की **समानता**;
- और उन सभी के बीच व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता** और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली **भाईचारा** को बढ़ावा देना।

মৌলিক অধিকার

ভারতীয় নাগরিকরা যদি মনে করেন তারা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে অংশত বা সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন তাহলে তারা হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করতে পারেন।

আইনের চোখে সমতা

স্বাধীনতা

জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা

শিক্ষা

শোষন থেকে সুরক্ষা

উপাসনা

ভাষা ও সংস্কৃতি

জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ২০ এবং ২১ নম্বর ধারায় উল্লিখিত অধিকার ছাড়া বাকি মৌলিক অধিকারগুলি আলাদা আলাদা করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাতিল করতে পারেন।

मौलिक अधिकार

नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित किए जाने की स्थिति में किसी अदालत (उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से कम नहीं) में जाने का अधिकार है।

कानून के समक्ष समानता

आज़ादी

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

शिक्षा

शोषण से सुरक्षा

उपासना

भाषा और संस्कृति

जब राष्ट्रीय या राज्य आपातकाल घोषित किया जाता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 में घोषित अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों या उनके कुछ हिस्सों को केंद्र सरकार द्वारा निलंबित किया जा सकता है।

মৌলিক অধিকার
সাম্যের অধিকার

- আইনের চোখে সবাই সমান এবং আইন সকলকে সমান ভাবে রক্ষা করবে। (ধারা ১৪)

- রাষ্ট্র কোনও নাগরিকের সাথে ধর্ম, লিঙ্গ, জাতি, গায়ের রঙ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা আচরণ করতে পারবে না। (ধারা ১৫)

- সরকারি চাকরিতে সব নাগরিকদের সমান সুযোগ সুবিধা থাকবে। (ধারা ১৬)

- ভারতে অস্পৃশ্যতা (কোনও ব্যক্তিকে ছোঁওয়া যাবে না , কোনও ব্যক্তির সঙ্গে পাশাপাশি বসা যাবে না, ইত্যাদি) নিষিদ্ধ। (ধারা ১৭)

- ভারতে সামরিক ও শিক্ষা ক্ষেত্র ছাড়া সমস্ত ক্ষেত্রে উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ। (ধারা ১৮)

তবে, রাষ্ট্র নারী ও শিশুদের জন্য কোনো বিশেষ আইন তৈরি করতে পারে। সামাজিক বা শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণী বা তফসিলি জাতি বা উপজাতির অগ্রগতির জন্য বিশেষ আইন তৈরি করা যেতে পারে।

मौलिक अधिकार

समानता का अधिकार

- सभी लोगों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। (अनुच्छेद 14)
- भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। (अनुच्छेद 15)
- सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी में समान अवसर मिलेंगे। (अनुच्छेद 16)
- छुआछूत की प्रथा एक अपराध है और ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा दंडनीय है। (अनुच्छेद 17)
- रक्षा और शिक्षा क्षेत्र को छोड़कर भारत में उपाधि की प्राप्ति और उपयोग प्रतिबंधित है. (अनुच्छेद 18)

हालाँकि, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। किसी भी सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।

মৌলিক অধিকার
স্বাধীনতার অধিকার

- ভারতের নাগরিকদের ৬ প্রকারের স্বাধীনতার অধিকার আছে। (ধারা ১৯)
    - মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা।
    - শান্তিপূর্ণ এবং নিরস্ত্র-ভাবে জমায়েত হওয়ার স্বাধীনতা।
    - সংগঠন তৈরির স্বাধীন।
    - ভারতের সব জায়গায় যাতায়াতের স্বাধীনতা।
    - ভারতের যেকোনো অঞ্চলে বাস করার স্বাধীনতা।
    - যেকোনো কাজ বা পেশা নেওয়ার স্বাধীনতা।

রাষ্ট্র জনস্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এই যুক্তিতে উপরোক্ত অধিকারগুলি খর্ব করতে পারে।

- প্রচলিত আইন-ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেবলমাত্র সেই আইন অনুসারেই শাস্তি দেওয়া যাবে এবং একই অপরাধের জন্য একবারের বেশি শাস্তি দেওয়া যাবে না। (ধারা ২০)
- নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী দিতে বাধ্য করা যাবে না। (ধারা ২০)
- কোনও ব্যক্তিকে তার জীবন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। (ধারা ২১)
- রাষ্ট্র ৬-১৪ বছর বয়সী সকল শিশুদের জন্য বিনা খরচে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। (ধারা ২১ এ)
- কোনও ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত কোনও কারণ ছাড়া গ্রেপ্তার বা অ্যারেস্ট করা যাবে না। (ধারা ২২)

मौलिक अधिकार

स्वतंत्रता का अधिकार

- संविधान भारतीय नागरिकों को छह प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है (अनुच्छेद 19)
    - भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और यह जानने का अधिकार कि सरकार कैसे काम करती है, वह क्या भूमिका निभाती है, उसके कार्य क्या हैं, इत्यादि।
    - बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता
    - संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता
    - नागरिकों को पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी है
    - भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता
    - कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता

जनहित में राज्य इन अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

- अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा का अधिकार।
- जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21)
- छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)
- कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का अधिकार। (अनुच्छेद 22)

মৌলিক অধিকার

শোষণ থেকে সুরক্ষার অধিকার

- ভারতে মানুষ নিয়ে ব্যবসা, মানুষ কেনা-বেচা, বেগার (বিনা মজুরিতে) কাজ করানো, জোর করে বা ভয় দেখিয়ে কাজ করানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (ধারা ২৩)

- ভারতে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের খনিতে, কারখানায় বা কোনও বিপদজনক কাজে লাগানো নিষিদ্ধ। (ধারা ২৪)

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার

- ভারতে যেকোনো ব্যক্তি নিজের বিবেক এবং বিশ্বাস অনুযায়ী যেকোনো ধর্ম গ্রহণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং নিজের ধর্ম প্রচার করতে পারবে। (ধারা ২৫)

- ভারতে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজেদের ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে পারবে। (ধারা ২৬)

- ভারতে কোনও বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও ব্যক্তিকে কর বা চাঁদা দিতে বাধ্য করা যাবে না। (ধারা ২৭)

- ভারতে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সরকারি অর্থে পরিচালিত সেখানে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যাবে না। (ধারা ২৮)

मौलिक अधिकार

शोषण के विरुद्ध अधिकार

- मानवों की बिक्री और तस्करी तथा बेगार (जबरन श्रम) पर रोक। (अनुच्छेद 23)
- खतरनाक कार्यों, कारखानों और खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। (अनुच्छेद 24)

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

- नागरिक अपनी पसंद के किसी भी धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। (अनुच्छेद 25)
- प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार होगा; उन्हें धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है। (अनुच्छेद 26)
- किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। (अनुच्छेद 27)
- कोई भी राज्य-संचालित संस्थान धर्म-समर्थक शिक्षा नहीं दे सकता। (अनुच्छेद 28)

মৌলিক অধিকার
সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার

- ভারতে যেকোনো অংশে বসবাসকারী নাগরিক নিজের ভাষা, সংস্কৃতি ও লিপি সংরক্ষণ করতে পারবে। (ধারা ২৯)

- ধর্মীয় ও ভাষা-গত সংখ্যালঘু সহ সমস্ত সংখ্যালঘুরাই ইচ্ছামত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। (ধারা ৩০)

मौलिक अधिकार
संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

- कोई भी समुदाय जिसके पास अपनी भाषा और लिपि है, उसे इसे संरक्षित और विकसित करने का अधिकार है। राज्य या राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। (अनुच्छेद 29)
- सभी अल्पसंख्यक, चाहे धार्मिक हों या भाषाई, अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी भी संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वह एक अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा प्रशासित है। (अनुच्छेद 30)

HINDUISM
JAINISM
BUDDHISM
SIKHISM
ISLAM
CHRISTAINNITY
@AmanNagarArtist

Society for Peoples' Awareness
66/2, Sarat Chandra Dhar Road, Kolkata – 700090
Phone – 9331992897
Email – info@spanvoice.org
Website - http://spanvoice.org/